बाह्य परिपत्र सं. 50 / डॉस-15 /2023
EC No. 50 / DoS- 15 /2023

17 मार्च 2023
17 March 2023

संदर्भ .सं.एनबी.डॉस प्र.का / 6068 / एन्श्योर/ पी-177 / 2022-23
Ref. No. NB. DoS. HO. / 6068 /ENSURE /P-177 / 2022-23

सभी राज्य सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक
The Managing Director, All State Cooperative Banks

सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
The Managing Director/Chief Executive Officer, All District Central Cooperative Banks

प्रिय महोदय/महोदया
Dear Sir/Madam

<u>स्थलेतर निगरानी प्रणाली: ओएससी-10 विवरणी – अतिरिक्त डेटा बिन्दु</u>
<u>Off-site Surveillance System: OSC-10 return – Additional datapoints</u>

कृपया दिनांक 25 फरवरी 2022 का हमारा परिपत्र संख्या राबैं.डॉस.प्रका/4426/ एन्श्योर/पी-177/2021-22 देखें जिसमें गुणात्मक मानदंडों और कुछ अन्य अलेखापरीक्षित / लेखापरीक्षित गुणात्मक मानदंडों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए "ओएससी-10" नामक एक तिमाही विवरणी की शुरुआत की गई थी. इन विवरणियों को प्रस्तुत करने की आवधिकता और समयसीमाएँ दिनांक 28 मार्च 2022 के परिपत्र संख्या राबैं.डॉस. प्रका/ ओएसएस/ 4826/ पी.63/ 2021-22 द्वारा निर्धारित की गई थी.	Please refer to our circular No. NB. DoS. HO./ 4426/ENSURE /P-177 / 2021-22 dated 25 February 2022 wherein a quarterly return named “OSC-10” was introduced to capture information on qualitative parameters and a few other unaudited/audited quantitative parameters. The periodicity and timelines for submission of the returns are prescribed vide circular No.NB.DoS.HO/OSS/4826/P.63/ 2021-22 dated 28 March 2022.

2. हम यह सूचित करते हैं कि दिनांक 29 दिसंबर 2022 को संपन्न अपनी 88वीं बैठक में पर्यवेक्षण बोर्ड [राज्य सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु] ने बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और बड़े बैंकों का विश्लेषण (31 मार्च 2022 की स्थिति में वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षित) करते समय यह निर्देश दिया था कि पर्यवेक्षित संस्थाओं को सूचित किया जाए कि वे जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य मुख्य मानदंडों, जैसे - आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर), सकल अनर्जक आस्तियाँ (जीएनपीए), निवल अनर्जक आस्तियाँ (एनएनपीए), निवल लाभ आदि का आकलन तिमाही आधार पर करें और उस डेटा को एन्श्योर में प्रस्तुत करें. इसके फलस्वरूप नाबार्ड अन्य बातों के साथ-साथ पर्यवेक्षित संस्थाओं के निष्पादन के विश्लेषण की प्रभावोत्पादकता में योजनाबद्ध और समयबद्ध रूप से सुधार कर सकेगा.	2. We advise that, while reviewing the financial position of banks and analysis of large banks (Inspected with reference to financial position as on 31 March 2022), the Board of Supervision [for StCBs, DCCBs and RRBs] (BoS) in its 88th meeting held on 29 December 2022 directed that the Supervised Entities (SEs) may be advised to assess CRAR and other key parameters like RoA, NIM, PCR, GNPA, NNPA, net profit etc. on quarterly basis and submit the data in ENSURE which would, inter alia, enable NABARD to improve the efficacy of analysing the performance of Supervised Entities in a systematic and timely manner.
3. पर्यवेक्षण बोर्ड के निर्देशानुसार, ओएससी-10 विवरणी को संशोधित कर उसमें अतिरिक्त डेटा बिन्दुओं को शामिल करने का	3. In accordance with the directions of BoS, it has been decided to revise the "OSC-10 return by including

निर्णय लिया गया है. संशोधित विवरणी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाली तिमाही से प्रभावी होगी और सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित विवरणी को एन्श्यौर पोर्टल के माध्यम से सतत आधार पर प्रस्तुत करें. बैंक इस संबंध में अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करें और अपनी आंतरिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में उपयुक्त परिवर्तन/सुधार करें ताकि वित्तीय संकेतकों की गणना शुद्ध रूप से की जाए जिससे विवरणियों की सही और समयबद्ध प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके.	additional datapoints. The revised return will be effective from quarter ending 31 March 2023 and all banks are advised to ensure submission of the prescribed return through ENSURE portal on an ongoing basis. The bank may evaluate the requirements and make suitable changes/improvements in its internal MIS so that the financial indicators are computed correctly to ensure timely accurate submission of returns.
4. पुनः उल्लेख है कि स्थलेतर निगरानी प्रणाली (ओएसएस) के अंतर्गत सभी विवरणियों को पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और अनुपालन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओएसएस विवरणियाँ प्रस्तुत करते समय बैंक समयबद्धता और सटीकता को समुचित महत्व देते हैं.	4. We reiterate that all the returns prescribed under Off-site Surveillance System (OSS) are to be certified by the CEO and Compliance Officer of your bank to ensure that the banks attach significant importance to timeliness and accuracy in submission of the OSS returns.
5. इसके अलावा, ओएसएस/एफएमएस विवरणियाँ नाबार्ड द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (ससयला) की धारा 27(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए	5. Further, the OSS / FMS returns are prescribed by NABARD in exercise of the powers conferred under Section 27(3) of Banking Regulation Act, 1949 (AACS) and are hence statutory in

निर्धारित की गई हैं और इसलिए ये सांविधिक हैं. पर्यवेक्षित निकायों (एसई) को बिना किसी चूक के निर्धारित अनुसूची के अनुसार इन विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए. इन विवरणियों को प्रस्तुत न करने/इनमें गलत रिपोर्टिंग करने पर उक्त अधिनियम में यथानिर्दिष्ट विनियामक कार्रवाई की जा सकती है.	nature. The SEs should ensure submission of these returns as per the schedule prescribed without fail. Non-submission or wrong reporting in these returns will attract regulatory action as specified in the Act, *ibid*.
6. कृपया इस परिपत्र की पावती हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें.	6. Please acknowledge receipt of this circular to our Regional Office concerned.
भवदीय ह/- (के एस रघुपति) मुख्य महाप्रबंधक	Yours faithfully Sd/- (K.S. Raghupathi) Chief General Manager